

**Demand to take effective measures to prevent deaths due to
hunger in the country**

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): महोदय, झारखंड राज्य में भूख से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विगत एक माह, जुलाई से अगस्त तक यह संख्या आधा दर्जन से ऊपर पहुंच गयी है। 30 जुलाई को विश्रामपुर, 10 अगस्त को सूतपुरवा, 16 अगस्त को फुलवरिया और 18 अगस्त को पलामू परशुरामखाप में भूख से मौतें हुई हैं।

अकाल का दंश झेल रहे गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, वहीं अनाज गोदामों में सड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अनाज सड़ाने से अच्छा है, उसको गरीबों में बांट दिया जाए। वहीं मनरेगा का पैसा और काम भी इनको नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों को मौत के बाद, उनके घर प्रखंड के अधिकारी मनरेगा की रकम देने पहुंचे हैं। इस क्षेत्र के निर्धन लोग अन्य प्रदेशों में काम-काज के लिए जाते हैं, जिससे परिवार में केवल वृद्ध लोग ही रह गए हैं। इनको न तो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है और न ही वे ज्यादा उम्र होने के कारण मनरेगा में काम करने लायक हैं। सरकारें भी भूख से होने वाली मौत को स्वीकार करने की बजाय इसको बीमारी से हुई मौत बताकर अपना दामन साफ कर लेती हैं।

श्री सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में तत्काल प्रभावी कदम उठाएं और संभव हो तो संग्रहित अनाज को बर्बाद होने और सड़ाने की जगह उसको ऐसे क्षेत्रों में वितरित करने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

Demand to give status of ST to certain castes

श्री गंगा चरण (उत्तर प्रदेश): महोदय, लोधी (लोधी-राजपूत), लोधा, लोध, किसान, पिछड़ी जाति में आती हैं। उक्त जातियां (लोधा) जाति के उपनाम हैं। उक्त जाति का उद्भव कश्यप (निषाद) गोत्र से हुआ है। चूंकि लोध जाति का गोत्र कश्यप है जिसे आज निषाद, केवट, मल्लाह, ढीवर कहते हैं। यह जाति अधिकांश नदियों, जंगलों व समुद्रों के किनारे बसी हैं। इस जाति का मुख्य धंधा मछली मारना व नदियों के किनारे खेती करना है। इस जाति के पूर्वज इस देश के मूल निवासी थे। इस जाति की उत्पत्ति भगवान शंकर के गणों लोधा से हुई है। इसके बाद निषाद राज गोह व वीर एकलव्य थे। आज भी ये जातियां आदिवासियों का जीवन जी रही हैं। महान लेखिका महाश्वेता देवी ने पश्चिम बंगाल की आदिसी लोध जाति पर उपन्यास लिखा, जिस पर उन्हें बुकर पुरस्कार मिला। पश्चिम बंगाल उड़ीसा में तथा अन्य कई प्रांतों में लोध जाति को आदिवासी जाति का दर्जा मिला हुआ है तथा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद जिलों में डिनोटिफाइड कॉस्ट में रखा गया है। आज भी सरकारी नौकरियों में उक्त जातियों की .01 प्रतिशत भी हिस्सेदारी नहीं है, जबकि उक्त जातियों की आबादी देश की कुल आबादी का 12 प्रतिशत है।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि लोध, लोधा, लोधी राजपूत, केवट, निषाद, कश्यप, मल्लाह व बिन्द जातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, जिससे कि उनको सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में उच्च स्थान मिल सके।

**Demand to resolve the problems being faced by farmers in
Vidarbha region of Maharashtra**

श्री अनिवाश पांडे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं आपके संज्ञान में विदर्भ में रहने वाले किसानों की समस्याओं को लाना चाहता हूं। अभी किसानों को जो कर्जमाफी दी गयी है, उससे उन्हें काफी लाभ हुआ है। मगर कर्जमाफी करने से ही निश्चित रूप से उनकी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं होने वाला है।

अतः विदर्भ रिजन में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को विशेष पैकेज दिया जाए, जिसके तहत किसानों को विपणन की सुविधा, अपने मकानों की टूट-फूट ठीक करने की सुविधा आदि की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज वहां “मनरेगा” के अंतर्गत गांव में किसानों को रोजगार का साधन तो मिल ही रहा है, परन्तु इस रोजगार के साधन से वर्ष भर उनका काम नहीं चलने वाला है, इसलिए इसकी सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विदर्भ के किसानों की समस्याओं पर दृष्टि डालते हुए ये उपाय किए जाएं।

Demand to address the problems of postal staff in the country

सुश्री अनुसुइया उइके (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से केन्द्र सरकार को सूचित करना चाहती हूँ कि संचार साधनों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के उपरांत भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों के संदेश पहुंचाने का कार्य डाक तार विभाग द्वारा ही किया जाता है। भले ही यह कार्य सरकार के लिए लाभकारी नहीं है, किन्तु फिर भी इसके महत्व एवं आवश्यकता को किसी भी दृष्टि से कम नहीं माना जा सकता है।

डाक विभाग तथा उसके कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं हैं, जिनका निराकरण किया जाना अति आवश्यक है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है:-

1. भारत सरकार द्वारा 80 प्रतिशत आबादी की सेवा करने वाले डाक सेवकों को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है, जबकि उनके द्वारा डाक विभाग के पूरे कार्य किए जाते हैं। अतः डाक सेवकों को शासकीय सेवक घोषित किया जाए।
2. आकस्मिक तथा अस्थाई ग्रुप डी तथा इसी तरह के अन्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा डाक लेखा की शार्ट ड्यूटी स्कीम के तहत भर्ती कर्मचारियों को वरीयता भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शीघ्र दी जाए।
3. नई पेंशन नीति का युक्तियुक्तकरण भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ की मांग के अनुसार उनसे चर्चा कर के शीघ्र किया जाए।
4. भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ की मांग के अनुसार समूह सी एवं डी के कर्मचारियों की वेतन विसंगति तथा छोटे वेतन आयोग की विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाए।

अतएव, मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि उक्त बिन्दुओं पर ध्यान देकर, शीघ्र निराकरण कराने का कष्ट करें, ताकि डाक कर्मचारी उत्साहित होकर डाक सम्प्रेषण का कार्य सुचारु रूप से करते रहें।

Demand to grant special financial package to Chhattisgarh for development of small and forest based industries

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य नैसर्गिक संसाधनों से युक्त होने पर भी सबसे गरीब राज्यों में आता है। राज्य की 46 प्रतिशत भूमि वनाच्छादित व पहाड़ी है। खनिज इन्हीं वनों के नीचे हैं। अनेक कारणों से इनका दोहन मर्यादित है। ये ही क्षेत्र कम विकसित हैं और नक्सलवाद व माओवाद के शिकार हैं। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में स्टील, ऊर्जा, कोयला आदि उद्योग हैं, पर उपभोक्ता वस्तुएँ, जैसे केमिकल, ऑटोमोबाइल तथा अन्य लघु उद्योग नहीं हैं या नगण्य हैं। यदि इनके समान लघु व वनोपज आधारित उद्योगों का विकास होगा, तो वह विकेंद्रित, रोजगारोन्मुखी व पर्यावरण-मित्र होगा तथा लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने में समर्थ होगा।

मेरा सरकार से निवेदन है कि वह उक्त कामों के लिए छत्तीसगढ़ को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करे।

Demand to give adequate compensation to farmers for losing land for Railway project in Chhattisgarh

SHRI R.C. SINGH (West Bengal): Sir, under Dalli-Rajhara-Raoghat-Jagadalonpur railway project in district Durg, Chhattisgarh, 94 kilometres of railway line is to be constructed and more